न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–21/2016 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. बालू पिता खेमा जी जाट निवासी मौखमपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. भीमराज पिता भवानीराम जी जाट निवासी देवाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. बक्षु पिता हीरा जी जाट निवासी देवाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणपत लाल पिता गोपी जी चौबे, निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाडा (राज०)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन
2. अप्रार्थी अधिवक्ता श्री वरूण त्रिवेदी

निर्णय दिनांक 2/6/2025

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण सेन द्वारा दिनांक 12.05.2016 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर क्रम संख्या 21/2016 पर दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित है। जिसके आराजी संख्या 4683 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा व आराजी संख्या 4684 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा है।

ग्राम पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 4683 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा व आराजी संख्या 4684 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि में प्रार्थी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा व प्रार्थी क्रम 2 व 3 का 1/8 –1/8 हिस्सा व विपक्षी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 इसी हक हिस्से अनुसार उक्त वर्णित आराजियात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

ग्राम पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 4683 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा व आराजी संख्या 4684 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि का खाता प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के शामलाती होने से आये दिन लगान आदि जमा कराने में भारी समस्या आती है एवं मौके पर हिस्सा व सीमा को लेकर विपक्षी संख्या 1 विवाद करता रहता है, लगान जमा कराने में भी परेशान करते है, जबकि प्रार्थीगण अपने हिस्से के भू–भाग पर कब्जा व काश्त करते आ रहे है। लेकिन विपक्षी संख्या 1 आये दिन इन आराजियात का शामलाती खाता होने से सह–खातेदार होने से आये दिन झगड़ा करता रहता है एवं धमकी देता रहता है कि प्रार्थीगण को आराम से काश्त नहीं करने देगा, जबकि विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 4683 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा व आराजी संख्या 4684 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में शामलाती खाते की है एवं प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपने हक एवं हिस्से के अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इस कारण प्रार्थीगण अपने हक एवं हिस्से के अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन की डिक्री पाने के अधिकारी है।

2/6/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 4683 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा व आराजी संख्या 4684 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की है एवं प्रार्थीगण व विपक्षीगण अपने हक एवं हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन विपक्षी संख्या 1 आये दिन लड़ाई–झगड़ा करता है एवं प्रार्थीगण के हक के अनुसार कब्जे काश्त की आराजियात में आकर दखलअंदाजी करता है एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी देता है। प्रार्थीगण के कई बार विपक्षी संख्या 1 को विभाजन कराने के लिए कहा लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। हाल ही में दिनांक 11.05.2016 को विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण के हक एवं कब्जे की आराजियात में आकर पत्थर डलाने लग गया एवं प्रार्थीगण को धमकी दी कि वह प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजियात में दीवार का निर्माण कर अपने कब्जे में लेकर ही रहेगा एवं साथ ही रास्ता भी बंद करके रहेगा, यदि निर्माण करने से रास्ता बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रार्थीगण का अपनी आराजियात पर आना जाना दुर्भर हो जाएगा। जबकि विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 को आराजियात के विभाजन के लिए भी कहा लेकिन उसने मना कर दिया। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की आराजियात पर काफी लागत लगाकर सरसब्ज बनाया है, जिस कारण विपक्षी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना नितांत आवश्यक है।

विपक्षी संख्या 1 आये दिन इन आराजियात का शामलाती खाता होने से सह खातेदार होने से आये दिन झगड़ा करता रहता है एवं धमकी देता रहता है कि प्रार्थीगण को आराम से काश्त नहीं करने देगा, जबकि विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण विपक्षी संख्या 1 को वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना नितान्त आवश्यक है, अगर विपक्षी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वह प्रार्थीगण को विवादित आराजियात से बेदखल कर देगा व वादग्रस्त आराजियात पर दीवार का निर्माण करवा देगा, तो प्रार्थीगण का वाद लाना ही व्यर्थ हो जाएगा एवं इससे प्रार्थीगण को काफी अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला है एवं सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे कि विपक्षी संख्या 1 ग्राम पुर तह0 एंव जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी संख्या 4683 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा व आराजी संख्या 4684 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की आराजियात के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे, न ही अन्य किसी से करावे व न ही दीवार का निर्माण करे व न ही निर्माण कर रास्ते को अवरूद्ध करे एवं मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

दिनांक 17.10.2024 को वादी अधिवक्ता द्वारा वादी संख्या 3 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 16.01.2025 को विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया–

वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 की क्रयशुदा भूमि है, प्रार्थीगण को जिस जगह विक्रेता द्वारा कब्जा सिपुर्द किया गया, उसी जगह प्रार्थीगण काबिज है व विपक्षी जवाबदाता को भी जिस जगह कब्जा सिपुर्द किया गया, उसी जगह पर काबिज है।

वर्तमान में लगान वसूल नहीं हो रहा है, लगान जमा कराने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है, मौके पर प्रार्थीगण के अभिवचनो अनुसार हक हिस्से अनुसार काबिज है व विपक्षी जवाबदाता द्वारा अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है व विपक्षी जवाबदाता द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि की चारदीवारी कर गेट लगा रखा है। जब मौके पर हक हिस्से अनुसार काबिज है, जब मौके पर कब्जे अनुसार काबिज है तो मिटस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है। प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है।

जब विपक्षी संख्या 1 जवाबदाता अपने हक हिस्से पर काबिज है व अपने हक हिस्से व कब्जे की भूमि पर चारदीवारी कर रखी है तो किसी प्रकार से दीवार निर्माण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण किसी प्रकार से रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है।

2/1/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी जवाबदाता की पुश्तैनी नहीं है, तत्कालीन खातेदारान से पूर्व में विपक्षी जवाबदाता द्वारा कय की गयी, तत्कालीन खातेदारान के पूर्व मौखिक बाहमी बटवाडा जो कि पूर्व के खातेदारान द्वारा पश्चिम दिशा की तरफ रास्ता निकला हुआ है, जिस रास्ते के समानान्तरण 1/2 हक हिस्से में उत्तर दिशा की तरफ विपक्षी जवाबदाता काबिज है व दक्षिण दिशा की तरफ प्रार्थीगण काबिज है। विपक्षी संख्या 1 जवाबदाता द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि के पत्थर की 6 फीट की पक्की दीवारी कर रखी व 3 तरफ सीमेन्ट के पाटीयों की चारदीवारी कर रखी है व विपक्षी जवाबदाता अपने हक हिस्से पर काबिज है व लाखों रूपये खर्च कर ट्यूबवेल भी लगा रखी है। लाखो रूपये खर्च कर काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छुपाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन कराने अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जाने योग्य है।

प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है व न ही सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, बल्कि विपक्षी जवाबदाता द्वारा मौके पर चारदीवारी कर रखी है व मौके पर हक हिस्से अनुसार काबिज है। विपक्षी जवाबदाता रेकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण विपक्षी जवाबदाता के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है।

अंत में प्रार्थी ने जो प्रार्थना पेश किया है, जो गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षीगण जवाबदाता का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के गुणवतापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित 3 बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है–

1. **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>** – प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 व 3 का 1/8–1/8 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार होने के कारण प्रार्थीगण से निरन्तर लड़ाई–झगड़ा करता रहता है तथा वादग्रस्त भूमि का दीगर व्यक्तियों को बेचान किये जाने की धमकी देता रहता है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया जाता है तो इससे वादकारण बढ़ने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के पूर्वजों से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्रो से केता होकर अपने–अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज द्वारा जिस स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द किया गया था उसी स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 काबिज है, जबकि प्रार्थीगण को जिस स्थान पर पूर्ववर्ती खातेदार द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया था उसी स्थान पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। अतः वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पृथक–पृथक कब्जा होने से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की कोई स्थिति नहीं बनती है। अतः प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल नहीं है।

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि सहखातेदार की भूमि है और प्रत्येक सहखातेदार का वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा होता है और किसी भी सहखातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा की डिक्री विधि अनुसार पारित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट रूप से सहखातेदार की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का स्वामित्व होने का सिद्धान्त स्पष्ट किया गया है। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल है।

26/6/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

2. सुविधा का संतुलन, 3. अपूरणीय क्षति –

उक्त दोनो बिन्दुओं का प्रकरण का गुणवतापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के हितों एवं अधिकारों को बाधित करने का कार्य निरन्तर कर रहा है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि का विभाजन होने से पूर्व ही किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया जाता है तो मौके पर नवीन केता एवं प्रार्थीगण के मध्य अनावश्यक वाद विवाद उत्पन्न होगा, जिससे नवीन वाद कारण उत्पन्न होकर नवीन वादों की श्रृंखला उत्पन्न हो जाएगी। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.05.2016 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई करने का आदेश जारी किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपने जवाब की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि में केता है तथा उनके द्वारा अपने–अपने पूर्ववर्ती खातेदारो से मौके का कब्जा प्राप्त किया गया है और उसी अनुसार वे काबिज काश्त है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.05.2016 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खत्म करने का निवेदन करते हुए कहा कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के पैतृक होने से संबंधित कोई भी दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। जिससे उक्त बिन्दु प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। इसके अतिरिक्त मौके का अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी कब्जे काश्त भूमि के चारो ओर 6 फीट की पक्की दिवार का निर्माण कर अपने हक हिस्से की भूमि का कृषि कार्य हेतु उन्नयन किया गया है और ट्यूबवैल भी खुदवाये गये है। अतः प्रार्थीगण सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.05.2016 को खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के पैतृक आराजीयात होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा मौके पर काबिज भूमि में 6–6 फीट उंची दीवारे निर्मित होने, ट्यूबवैल लगाई जाने का कोई विरोध व्यक्त नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रथम दृष्टया साबित करने में असफल रहे है। अतएंव

–: आदेश :–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.05.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन अनुसार खारिज किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

2/6/2025

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा